# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 137 / 2022
**GCMS CASE NO-2022/137**

1 महेश कुमार पुत्र भैरूराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता अपीलांट
2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ रेस्पोडेंट

–::निर्णय::–

दिनांक : 27.08.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर स्टेशन अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 3 बीबीएम के प.न. 236/45 कि.न. 4 व 7 में 0.506है0 भूमि पर फसल खरीफ 2079 में नाजायज काश्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने का नोटिस जारी किया गया ।

उपतहसीलदार राजियासर ने अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर मालगुजारी का 50 गुणा तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि दिनांक 01.10.2022 को निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया दिनांक 11.10.2022 को अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। आदेश की जानकारी हुई बिना किसी देरी के यह अपील पेश की गई। प्रार्थी अनपढ काश्तकार है व कानूनी पेचिदगियों का ज्ञान नही है। अतः अपील में देरी हुई है वह माफी योग्य है।

राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी की गई है अपीलांट को निर्णय की पूर्ण जानकारी थी, आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किए गए थे जो विधिवत रूप से अपीलांट को तामील हो चुका था अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई अपीलांट ने देरी के लिए जो कथन प्रस्तुत किए है वो संतोषप्रद है प्रकरण का फैसला तकनीकी बिन्दुओ पर ना किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:06:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। फसलकुन्ता (Assesment) नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है । अपीलांट को पहले कभी बेदखल नही किया गया । ऐसे मे उन्हे पाश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नही दिये जा सकते। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 4(16) कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.1996 से पूर्व लगातार 5 वर्षो से काबिज है तो उसे उस भूमि से बेदखल न कर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधिसूचना स0 एफ 4 (16) कोलो/99 जी.एस0आर 89 दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.2000 से 5 वर्षो तक अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि दिनांक 1.1.2000 से 7 वर्षो में से किन्ही 5 वर्षो तक भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डीएलसी दरों पर आवंटन कर दिया जावे। उसे बेदखल ना किया जावे व आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21–ए में डीएलसी से पूर्ण राशि जमा करवाकर अतिक्रमी को आवंटन करने का प्रावधान है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट महेश कुमार द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 20.09.2022 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। उपतहसीलदार राजियासर द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील सारहीन होने से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:06:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner